उम्र बढ़ी, सहूलियतें नहीं... बुजुर्ग आज भी लाइन में

वरिष्ठ नागरिक दिवस... अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक परिवहन में बुर्जुगों को लगानी पड़ रही लाइन

अमर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर/हल्द्वानी। शहर की आबादी के साथ बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं बढ़ीं। सरकारी अस्पताल, बस और सरकारी दफ्तरों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आज भी घंटों लाइन लगानी पड़ रही है।

बेटे दिल्ली रहते हैं। पेंशन के लिए तीन बार तहसील के चक्कर लगा चुका। बैंक में कोई फॉर्म भरने वाला नहीं मिलता। तीन महीने से पेंशन नहीं आई। **-रामलाल, 72 वर्ष, गल्ला मंडी**

अस्पताल में सुबह तीन बजे से लाइन लगाती हूं। बुजुर्गों का काउंटर बंद रहता है। दवा लेने के लिए दो मंजिल सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। घुटनों में दर्द है, पर क्या करें। **-शांति देवी 68 वर्ष, ट्रांजिट कैंप**

बस में बुजुर्गों की सीट पर जवान बैठ जाते हैं। कोई उठाता नहीं। ऑटो वाले 20 रुपये की जगह 50 रुपये मांगते हैं। अकेला हूं, घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। **-हरपाल सिंह, 75 वर्ष, काशीपुर रोड**

सड़कों पर फुटपाथ हैं लेकिन उन पर रेहड़ी और ठेले वालों का कब्जा है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और बच्चों का सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल है। इस पर शासन-प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। **-दयानंद भट्ट**

बाजार आने पर सड़कों के किनारे कुछ देर बैठने के लिए कहीं बेंच तक नहीं है। उम्र के इस पड़ाव में लगातार चल पाना संभव नहीं है। बुजुर्गों की इस समस्या के समाधान के लिए सिस्टम को जागना होगा। **-बीएस कुंवर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कोषाधिकारी**

दूरदराज के रूटों पर जब रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क सफर की व्यवस्था करने से क्या लाभ। सरकारी कार्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता मिले। **-डॉ. पीतांबर अवस्थी**

जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर बना है, लेकिन अक्सर बंद रहता है। ओपीडी, दवा और जांच के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर खिंचने तक वाला कोई नहीं है। रोडवेज में आरक्षित सीटों पर कब्जा रहता है। कोतवाली-चौकियों में सीनियर सिटिजन हेल्प डेस्क है पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के बात करें तो पेंशन में केवाईसी और जीवित प्रमाण पत्र की वजह से करीब 400 बुजुर्गों की पेंशन महीनों से अटकी है।

मतदाता सूची की शुचिता से क्यों परेशान है कांग्रेस : तरुण बंसल

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर विशेष वर्ग की सुहानुभूति और वोट बैंक की राजनीति के लिए एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि कांग्रेस विशेष वर्ग की सहानुभूति और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा पर फर्जी आपत्तियां लगवाने के कांग्रेस के आरोप को निराधार बताया।

बंसल ने स्पष्ट किया कि एसआईआर कोई राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सांविधानिक निर्वाचन प्रक्रिया है। इसमें बीएलओ, ईआरओ और अन्य निर्वाचन अधिकारी सत्यापन करते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उत्तराखंड में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस को संदेह होने पर निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष तथ्यात्मक परीक्षण प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस हर निर्वाचन प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैला रही है। ब्यूरो

15 सितंबर के बाद उत्तराखंड आएंगे राहुल, प्रियंका व खरगे

देहरादून। प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के लिए 15 सितंबर के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे।

बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे व पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में चुनावी रणनीति के साथ पार्टी कार्यक्रमों पर गहन चर्चा की गई।

15 सितंबर के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उत्तराखंड का दौरा करेंगे। गढ़वाल व कुमाऊं में पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्यक्रमों की तिथि तय की जाएगी। ब्यूरो

भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन

कांग्रेस का आरोप- झूठी आपत्तियां दर्ज कर योग्य मतदाताओं के सूची से हटाए जा रहे नाम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे प्रदेश कांग्रेस नेता। स्रोत: संगठन

देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितता का आरोप लगाकर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया।

उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पहुंचे पार्टी प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि राज्य में 8.26 लाख मतदाताओं के नाम बिना उचित प्रक्रिया के काटे गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फार्म-7 के जरिये काटे जा रहे अधिकतर वोट दिल्ली और बरेली के मोबाइल नंबरों से की गई शिकायतों पर आधारित हैं।

प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा, गुरदीप सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह शामिल थे।

बिना समय लिए पहुंचने पर नेताओं को मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। विवाद के बाद आयोग ने एक पत्र जारी कर कांग्रेस को देहरादून में कियत दर्ज कराने का विकल्प दिया है।

कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को लेकर बनाई चुनावी रणनीति

देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई है। विधानसभा वार जनहित के मुद्दों व भाजपा सरकार की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम कटने से रोकने के लिए पार्टी की ओर से उठाए गए कदम के बारे फीडबैक लिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अवगत कराया कि मतदाताओं के सहयोग व समन्वय के लिए पार्टी ने टीमों का गठन किया है। ब्यूरो

बेहड़ बोले- इनका नाम दो राज्यों में दर्ज शुक्ला ने कहा- गलत दस्तावेज दिखाए

रुद्रपुर। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में लगाई गई आपत्तियों को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक बार फिर आमने-सामने हैं।

बेहड़ ने शुक्ला समेत कई लोगों के नाम दो राज्यों की मतदाता सूचियों में होने का दावा करते हुए आपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं शुक्ला ने बेहड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गलत दस्तावेज दिखाकर भ्रमित किया जा रहा है।

बृहस्पतिवार को सिटी क्लब में प्रेसवार्ता के दौरान विधायक बेहड़ ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकाली गई मतदाता सूचियों के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नाम किच्छा और बस्ती की मतदाता सूची में दर्ज है। दूसरी ओर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बेहड़ के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनका नाम राजेश शुक्ला है, जबकि बेहड़ जिस मतदाता सूची का हवाला दे रहे हैं, उसमें राजेश कुमार नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि दिखाई जा रही सूची वर्ष 2003 की है और उसमें दर्ज व्यक्ति की उम्र व अन्य विवरण में भी काफी अंतर है। शुक्ला के अनुसार, एसआईआर के दौरान उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा चुका है। ब्यूरो

15 हजार गरीबों को मिलेगा अपना आशियाना

पीएमएवाई शहरी के तहत 84 फीसदी मकान तैयार, चार माह के भीतर दिए जाएंगे

देहरादून। उत्तराखंड में चार माह के भीतर 15 हजार गरीब परिवारों को अपने आशियाने मिलेंगे। पीएमएवाई (शहरी) के तहत 84 फीसदी मकान बनकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार का अपना घर हो।

सचिव आवास डॉ. आर राजेश के अनुसार, प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें लगभग 84 फीसदी यानी 12,948 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि 1271 घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें 768 रुड़की और 503 लाभार्थी हरिद्वार के हैं। लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं। ब्यूरो

कहां कितने मिलेंगे आवास

■ **ऊधमसिंह नगर :** सर्वाधिक 10,200 मकान ऊधमसिंह नगर में बनाए जा रहे हैं। इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1872 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। 1264 आवास भवानीपुर (जसपुर), 1168 उकरौली-1 (सितारगंज), 864 उकरौली-2 (सितारगंज), 1256 कनकपुर (काशीपुर), 928 मटकोटा (रुद्रपुर), 928 श्यामनगर (गदरपुर), 824 महुआखेड़ागंज, 512 मानपुर (काशीपुर) एवं 584 गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे।

■ **नैनीताल :** उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

■ **हरिद्वार :** यहां 4528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 544 मंगलौर, 448 झब्बरपुर, 1152 अन्नेखी, 1088 बेल्डी (बेलड़ी, रुड़की), 768 आवास शिकारपुर एवं 528 इंद्रलोक आवासीय योजना के तहत बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में हजारों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजना का लाभ सीधा मिला है। पात्र परिवारों की मदद के लिए योजना में अब राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया जा रहा है। **-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार**

धामी सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बना रही : विपुल मैंदोली

देहरादून। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कहा कि धामी सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बना रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार युवाओं को प्रदेश के विकास का भागीदार भी बना रही है। सरकार शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा रही है। मैंदोली ने कहा, उत्तराखंड में पहले युवा आयोग का गठन युवाओं की समस्याओं को नीति निर्माण से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है।

पलायन रोकने को पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में तीन नए औद्योगिक पार्क विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना से 10 हजार विद्यार्थियों को सात करोड़ रुपये के प्रावधान से निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग मिलेगी। ब्यूरो

THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology, Tehri (A Campus Institute of VMSBUTU)

WALK IN INTERVIEW

A walk-in interview is scheduled on 24/08/2026 & 25/08/2026 in the institute for engagement of Guest Faculty in various Departments (ME, CE, EE, ECE, CSE, Management, Chemistry & Mathematics) of the institute. Remuneration: Rs. 50,000/- per month (max.). For more information visit institute website: www.thdcihet.ac.in

Director, THDC-IHET

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बार्यांखाला, शीशमबाड़ा, देहरादून, पिन–248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेबसाइट: www.hnbumu.ac.in ईमेल: info.hnbumu@gmail.com

पत्रांक: 1060/एचएनबीयूएमयू/नीट–पी0जी0/2026–27 दिनांक: 20.08.2026

नीट पी०जी० एम०डी०एस0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउंसलिंग सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना।

नीट पी०जी०– एम०डी०एस० 2026 के परीक्षा परिणाम के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के निजी डेन्टल संस्थानों की एम०डी०एस० पाठ्यक्रमों की सीटों हेतु ऑनलाइन केन्द्रीयकृत काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 21 अगस्त 2026, से प्रारम्भ की जा रही है।

भारत सरकार, एम०सी०सी०, डी०सी०आई० एवं उत्तराखण्ड सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में काउंसलिंग की समस्त नवीनतम जानकारी और प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।

भविष्य में काउंसलिंग सम्बन्धी समस्त जानकारियां/विवरण एवं संशोधन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जायेगी। कुलसचिव

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं. दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन
निकट ओ.एन.जी.सी. हैलीपैड गढ़ी कैन्ट, देहरादून – 248001,
दूरभाष: 0135–2559898, फैक्स: 2559988

संख्या– 2953/2–2–349/2026–27 दिनांक: 20 अगस्त 2026

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्री (ऑफिस टेबल, कुर्सी, आरओ, वाटर कूलर, लोहे की आलमारी, लकड़ी की आलमारी आदि) की नीलामी (जैसा है, जहाँ है के आधार पर) के लिए दिनांक – 03.09.2026 के अपराह्न 02.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे निविदा समिति के द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र एवं निष्प्रयोज्य की जाने वाली सामग्री की सूची, नीलामी सम्बन्धी शर्तें कार्यालय के नजारत अनुभाग के कक्ष संख्या 1 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जगराम मैमोरियल जूनियर हाईस्कूल भोगपुर, हरिद्वार

विज्ञापन संख्या–2 दिनांक 20-8-2026

जगराम मैमोरियल जूनियर हाईस्कूल भोगपुर, हरिद्वार में नियमानुसार वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय में दो पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1- सामाजिक विज्ञान 1 पद
2- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 पद

उपरोक्त पदों पर अनिवार्य अहर्ता उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2009 के अनुसार मान्य होगी। जिसका पूर्ण विवरण विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा है। सहायक अध्यापक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाएगा। अपना आवेदन पत्र शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित दिनांक 10-9-2026 को इस पते पर डाक या स्वयं आकर प्रेषित करें। जगराम मैमोरियल जूनियर हाईस्कूल भोगपुर हरिद्वार। समस्त आवेदक दिनांक 20-9-2026 को साक्षात्कार हेतु विद्यालय परिसर में मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हो।

दलीप कुमार, प्रबंधक
जगराम मैमोरियल जूनियर हाईस्कूल भोगपुर, हरिद्वार
Mob: 8439027668

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा : काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद्द्वारा ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** निम्न वर्णित दिनांक को ले लिया है। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये इंडियन बैंक के प्रभारों के अधीन होगा। "उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे सूचना की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋणी/बंधककर्ता** :– श्रीमती रंजना सलूजा पत्नी श्री परमीत सलूजा, **पता–1.** एस–67, गंगा नगर, कॉलोनी बदाऊ रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश–243001, **पता–2.** मकान नं.416 मोहल्ला काजीबाग, काशीपुर–244713 जिला उधम सिंह नगर, **ऋणी:** श्री परमीत सलूजा पुत्र श्री अतर सिंह, **पता–1.** एस–67, गंगा नगर, कॉलोनी बदाऊ रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश–243001, **पता–2.** मकान नं.416 मोहल्ला काजीबाग, काशीपुर–244713	बंधक दो मंजिला घर, जो मौजा महेशपुरा, मोहल्ला काजीबाग, काशीपुर–244713, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 90.89 वर्ग मीटर है, जो श्रीमती रंजना सलूजा पत्नी परमीत सलूजा के नाम पर है। सेल डीड के अनुसार बही नंबर 1, जिल्द नंबर 5393, पेज 21 से 40, क्रमांक नंबर 8240 जो दिनांक 25.10.2018 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर में पंजीकृत है। **सीमाएँ:**– **पूर्व**– 15 फीट सड़क, **पश्चिम**– श्री साई दास जुनेजा का मकान, **उत्तर**– श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा का मकान, **दक्षिण**– 20 फीट सड़क।	30.05.2026	20.08.2026	रू0 71,86,945/– दिनांक 30.05.2026 तक भविष्य ब्याज एवं अन्य शुल्क और खर्चों के साथ।
	जिला उधम सिंह नगर, **गारंटर** : श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा पुत्र श्री हरीश चंद्र अरोड़ा, **निवासी**– मकान नंबर 599, वार्ड 15, चंद्रा पेट्रोल पंप के पीछे, मोहल्ला निवास नगर, रामनगर रोड काशीपुर, जिला–उधमसिंह नगर–244713।				

दिनांक– 20.08.2026 स्थान– काशीपुर प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

टी.आर.सी सं./67/2022 ई–नीलामी बिक्री सूचना दिनांक : 04.08.2026

यूको बैंक बनाम श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड

"आदेश"

मेरे आदेश दिनांकित 04.08.2026 के अनुसार यूको बैंक बनाम **श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड** के मामले में नीचे वर्णित सम्पत्ति ई–नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी। नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से 'ऑनलाइन ई–नीलामी' के माध्यम से होगी

नीलामी की तिथि और समय : **30.09.2026 अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 04.00** बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बिड के मामले में स्वतः विस्तार क्लॉज के साथ, यदि अपेक्षित है)।

क्र सं.	संपत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	**बंधक रखी गई संपत्ति 4.5 एकड़ + 4.5 एकड़ भूमि, श्रीमती शशि गुप्ता के नाम, जो खसरा नंबर 210, खसरा नंबर 393, ग्राम बस्सी, तहसील काशीपुर, ज़िला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में स्थित है।**	रू. 6,90,00,000/- ईएमडी : रू. 69,00,000/-

नोट : ऊपर वर्णित सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

संपत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर किसी भी तरह के भार या दायित्व का विवरण।	अगर प्रॉपर्टी पर कोई दावा किया गया है, तो उसकी जानकारी और इसकी प्रकृति और कीमत से जुड़ी कोई भी अन्य ज्ञात जानकारी।
बंधक रखी गई संपत्ति 4.5 एकड़ + 4.5 एकड़ भूमि, श्रीमती शशि गुप्ता के नाम, जो खसरा नंबर 210, खसरा नंबर 393, ग्राम बस्सी, तहसील काशीपुर, ज़िला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में स्थित है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

1. इस बिक्री हेतु लागू नियम और शर्तें यहां नीचे और वसूली अधिकारी द्वारा जारी बिक्री उद्घोषणा पत्र में वर्णित की गई हैं। नीलामी और बोलीदान केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से होगा। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण यूजर आईडी और बोलीदान प्रक्रियाओं हेतु लागू विवरण के लिए BAANKNET पोर्टल देखें।
2. प्रतिभागिता के इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता के पास अपना पंजीकरण पर्याप्त अग्रिम में करवा लेना चाहिए और **ई–नीलामी** में भाग लेने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेना चाहिए। यह तभी मिल सकता है जब आवश्यक ईएमडी का भुगतान निर्धारित विधि से कर दिया जाए।
3. ईएमडी BAANKNET पोर्टल के माध्यम से निर्धारित विधि से 25–09–2026 को अप. 04:00 बजे तक जमा करनी होगी। सीएच बैंक, BAANKNET पोर्टल के साथ मिलकर, सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक जानकारी के साथ 26–09–2026 को अप. 04:00 बजे तक आवश्यक स्वीकृति के लिए वसूली अधिकारी को भेजेगा। नीलामी के संचालन से जुड़े सभी मामलों में, आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम और वसूली अधिकारी के निर्देश BAANKNET पोर्टल के नियमों और शर्तों पर आविर्भावी होंगे। पंजीकरण, यूजर आईडी और बोली लगाने के तरीकों के बारे में व्यावहारिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता BAANKNET पोर्टल देख सकते हैं या यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
4. पैन कार्ड की कॉपी, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर और घोषणापत्र कि वे अपनी ओर से बोली लगा रहे हैं या अपने प्रधान की ओर से बोली लगा रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा और चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधित्व/प्राधिकार का पुष्टिकारक कोई अन्य दस्तावेज और उक्त जमा की रसीद/प्रतिपन्ना दिनांक 05–09–2026 के अप. 04:00 बजे तक ई–मेल या किसी और तरीके से उपरोक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी।
5. **संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। ई–नीलामी और बोलीदान, पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट:** https://baanknet.com ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, मो : +91 8291220220, पता: मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1, तीसरा तल, वीआईओएस कमर्शियल टावर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला, पूर्व मुंबई–400034, संपर्क व्यक्ति: श्री गणेश देवाडिगा, मोबाइल नंबर: 8291220220 द्वारा संचालित BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) ई–नीलामी पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा सम्पन्न होगा।
6. **संपत्ति, संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए 19–09–2026 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे तक खुली रहेगी। संपत्ति के संबंध में किसी भी पूछताछ और निरीक्षण के लिए, बोलीदाता श्री बिजेंद्र सिंह किरार, प्राधिकृत अधिकारी, मो : 9899425435, भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली और उनका ईमेल: AGMCL4.50950@sbi.co.in से संपर्क कर सकता है**
7. संपत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. बोलीदाता को ऑफर रू. 5,00,000/– के गुणज में देनी होगी।
9. संपत्ति **"जैसी है जहाँ है" के आधार पर और जो है जैसी है** के आधार पर" बेची जाएगी।
10. नीलामी के अंत में, सफल बोलीदाता को, BAANKNET पोर्टल पर पहले से जमा ईएमडी के समायोजन के बाद, **बिक्री राशि की 25%, राशि वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के नाम डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से अगले दिन यानी 01–10–2026 को अप. 4:00 बजे तक, सीलबंद लिफाफे में वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी।**
11. सबसे अधिक बोली लगाने वाले सफल बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की **तिथि से 15वें दिन या उससे पहले अंतिम बोली की राशि की शेष 75% राशि जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश है, तो 15वें** दिन के बाद पहले बैंक कार्यदिवस को निर्धारित विधि से जैसा ऊपर पैरा में बताया गया है। इसके अतिरिक्त खरीदार को वसूली **अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास 1000/– रुपये तक 2% की दर से पाउंडेज फीस और 1000/– रुपये से अधिक राशि का 1% डीडी के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के नाम 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है।**
12. नियत अवधि के अंदर भुगतान में चूक की स्थिति में, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है, तो खर्चे की राशि समायोजित कर जमाराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार के संपत्ति या जमा की गई राशि पर सभी दावे समाप्त हो जाएंगे। बिक्री की नई घोषणा के बाद संपत्ति फिर से बेची जाएगी। इसके अतिरिक्त, खरीदार अपनी अंतिम बोली की राशि और जिस मूल्य पर इसे बाद में बेचा गया है, उसके बीच किसी भी कमी या अंतर को पूरा करने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा।
13. वसूली अधिकारी के पास आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, बिक्री की पुष्टि करने से मना करने, या किसी भी समय ई–नीलामी को टालने या रद्द करने का कानूनी अधिकार है। इस कानूनी अधिकार का प्रयोग ई–नीलामी के संचालन में BAANKNET पोर्टल या सीएच बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से प्रभावित या सीमित नहीं होगा।
14. असफल बोली लगाने वालों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी ईएमडी वापस प्राप्त करने के लिए आरसी की सुनवाई की नियत तिथि को या उससे पहले डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ एक आवेदन दाखिल करें, जो आरसी की सुनवाई की नियत तिथि/अनुवर्ती तिथि को उसी के अनुसार वापस कर दिया जाएगा।
15. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में संपत्ति के विरुद्ध राजस्व/ऋणभार या अन्य दावे का कोई अन्य विवरण नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/हाउस टैक्स बिल या किसी अन्य देनदारी इत्यादि के बकाए के बारे में स्वयं ही सतर्कता–जांच कर लें।
16. सीएच बैंक ई–नीलामी सूचना अंग्रेजी के साथ–साथ स्थानीय भाषा में भी उन समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगा जो उस क्षेत्र में काफी पढ़े जाते हैं/जिनका उस क्षेत्र में काफी प्रसार है, जहां पर कि संपत्ति स्थित है और सीडी'ज रहते हैं या लाभार्थ कार्य करते हैं। सीएच बैंक नीलामी की तिथि तक पर्चे छपवाकर और ढोल बजाकर भी प्रचार कर सकता है और इस न्यायाधिकरण में रिपोर्ट जमा कर सकता है।
17. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह यहां दिए गए विवरण को प्रमाणित करे और उनकी सच्चाई की जांच करे, और यह सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक विवरण और प्रकटन पोर्टल के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करके BAANKNET ई–ऑक्शन पोर्टल पर ठीक से अपलोड किए गए हैं। किसी भी तरह की विसंगति होने पर, इसकी जानकारी यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को दी जाए।

हस्ता/–
(राहुल सिंगला)
रिकवरी ऑफिसर–I, डीआरटी–III, दिल्ली